अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

इ.इ. 19/118/225 घनश्यामसिंह बनाम देवीलाल

तारीख पेशी	2018/10019 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री वीरेन्द्रसिंह लंगारोत श्री ...	GA-3

घनश्याम सिंह बनाम देवीलाल वगेरह

29.8.19

पत्रावली पेश। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि अपील में रिकार्ड प्राप्त नहीं हो रहा है जिससे अपील का अंतिम निस्तारण नहीं हो रहा हैं । न्यायालय हाजा ने अपील में विवादित आराजी को रहन, बय व मुन्तकिल नहीं किये जानें हेतु स्थगन आगामी पेशी तक जारी किया हुआ है जबकि अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 09.07.2019 को अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जो मान्नीय राजस्व मण्डल राज.की लार्जर बेंच द्वारा पारित आदेश 12.03.2014 में कथन किया कि "Revenue Appellate Authority has jurisdiction under Section 225 of the Act to entertain an appeal against an ex-parte or ad-iterim ex-parte order passed by a Trial Court under Section 212 of the Act, but the Revenue Appellate Authority has no jurisidiction to entertain appeals against such ad-interim ex-parte order which are effective only till next date of hearing." । मान्नीय मण्डल की उक्त नजीर द्वारा अपील चलने योग्य नही है इसलिए अपील को इसी स्तर पर खारिज की जावें।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्टस विवादित आराजी को अन्यत्र बेचान करना चाहते है। अपील में रेस्पोडेन्टस की तलबी पूर्ण हो चुकी है तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड ही प्राप्त करना हैं। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होते हुए अपील का निस्तारण किया जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एंव अपील मीमो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन चूँकि अपील अधीनस्थ न्यायालय के अन्तरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसका निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना हैं इसलिए पक्षकारान के समय व आर्थिक व्ययता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अपील का इसी स्तर निस्तारण करना उचित समझते है।

अपीलांट अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधि. (अस्थायी निषेधाज्ञा) पर उभयपक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विवेचन कर, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर इस न्यायालय के आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। तब तक न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.10.2018 अनुसार विवादित आराजी को रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करने हेतु रस्पोडेन्टस पाबंद रहेगें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

29/8/19

राजस्व अपील प्राधिकारी